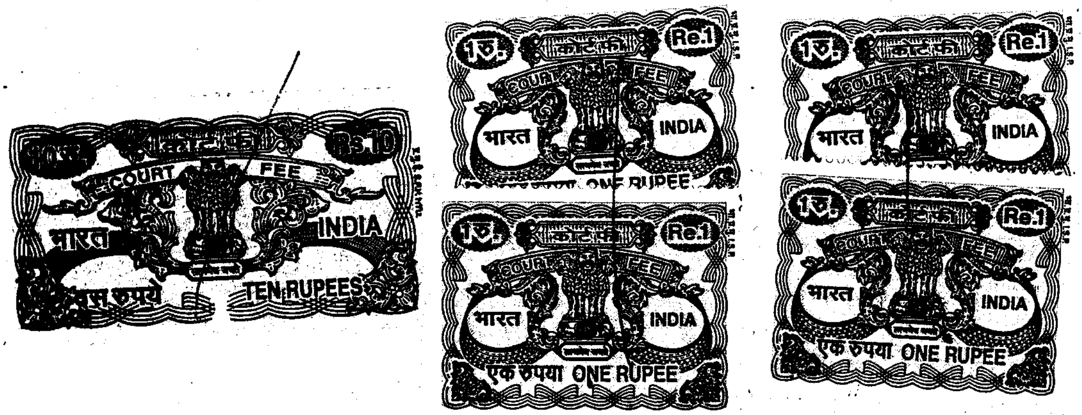

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर

R- 2572-PBR/2012 निगरानी प्र.क्र. ..../2012

श्री कैलाश अग्रवाल, आयु लगभग 60 वर्ष,
आत्मज स्व. श्री चांदमल अग्रवाल,
निवासी 48, किरण कुंज, गुजरपुरा, भोपाल --------- आवेदक

विरूद्ध

16.08.12

1. रिद्धी सिद्धी गृह निर्माण सह.
संस्था मर्यादित, भोपाल द्वारा
उपाध्यक्ष गोविन्द भारद्वाज आत्मज
श्री आर.एम. भारद्वाज, निवासी करोंद चौराहा,
बैरसिया रोड, भोपाल
2. अनूप कुमार आत्मज श्री बालकृष्ण,
निवासी मंदिर के पास,
अशोका गार्डन, भोपाल -------- अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर महोदय भोपाल के प्रकरण क्र. 39/निगरानी/2005-06 (रिद्धी-सिद्धी गृह निर्माण सहकारी संस्था विरूद्ध श्री कैलाश अग्रवाल व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20/02/2006 जिसकी जानकारी इस आवेदक को दिनांक 05/07/2012 को प्राप्त हुई से व्यथित होकर यह निगरानी विधिवत समयावधि में निम्नलिखित ठोस वैधानिक आधार पर प्रस्तुत की जा रही है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2572–पीबीआर/2012 **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–8–2015	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । उभयपक्ष के मध्य प्रचलित व्यवहार वाद में षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक भोपाल द्वारा व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 937–ए/2012 में दिनांक 27–6–15 को राजीनामे के आधार पर आदेश पारित किया जा चुका है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20–2–2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में तहसीलदार आवश्यक कार्यवाही करें । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	